

न्यायालय लैण्ड रेकॉर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.) सिरौही
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड,आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 130/2017

- प्रार्थीगण
- 1- जेठाराम पु. गलबाजी
 - 2- नेमाराम पुत्र गलाबाजी
 - 4- पुनाराम पुत्र देशाराम जी
 - 5- अशोक पुत्र देशारामजी
 - 6- मगी पुत्री देशारामजी
 - 7- दरगी पत्नि देशारामजी
 - 8- मोना पुत्र गलबाजी
 - 8- मोगी पुत्री गलबाजी
 - 9- पोनी पुत्री गलबाजी
 - 10- मन्सी पुत्री गलबाजी

बनाम अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार,सिरौही

सभी जाति कुम्हार आयु व्यस्क
निवासी मोरली तहसील शिवगंज
जिला सिरौही राज.

उपस्थित :-

- 1- प्रार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री परीक्षित खरोर
- 2- अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरौही की ओर से पैरोकार सरकार
(नायब तहसीलदार,सिरौही)



रा.प्रा.पत्र अ.धा.धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करने

निर्णय

दिनांक 02-01-2018

प्रार्थीगण ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत विरुद्ध राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,सिरौही का इस न्यायालय में दिनांक 5-7-2017 को पेश किया जिसका संक्षेप में तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि ग्राम वाडाखेडा पटवार क्षेत्र गोल तहसील सिरौही में प्रार्थीगण के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई है प्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी के कृषि भूमि राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2049 से 2052 में निम्न प्रकार अंकित थी :-

खाता नंबर	खसरा नंबर	रकबा
61	165 / 136	1
	165 / 137	0.18
	165 / 138	0.11
	165 / 139	0.16
	165 / 157	2.18
	167 / 158	1.07
	कुल 06	7.10

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर
(उपलक्ष्य अधिकारी)
सिरौही (राज.)

Continue page

वर्तमान सैटलमेण्ट मे प्रार्थी के पुराने खसरा नंबर 165/136-165/137-165/138-165/139 से बने नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.53 हेक्टेयर को राजस्व रेकर्ड मे बिलानाम अंकित किया है। प्रार्थीगण व उसके रसाधिकारी के खातेदारी मे अंकित नही किया है। पुराने खसरा नंबर 165 से नये खसरा नंबर 329-330-331-332 नये है एवं पुराने खसरा नंबर 165/136-165/137-165/138-165/139 नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.53 हेक्टेयर राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी के स्थान पर बिलानाम अंकित किया है। एवं प्रार्थी के पुराने खसरा नंबर 165/136-165/137-165/139-165/139 रकबा 1बीघा-0.18 बीघा-0.11 बीघा-0.16 बीघा कुल 3.05 बीघा के बने नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.53 हेक्टेयर पर काबिज काश्त है। जिसका नक्शा तकनीकी दक्ष से बनाया जाकर मौके की स्थिति को दर्शाता हुआ इस आवेदन के संलग्न प्रस्तुत है इस भूमि को वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे बिलानाम के स्थान पर खातेदारी अंकित किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थी ग्रामीण काश्तकार है है उसे वर्तमान भूप्रबन्ध के समय उसकी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे हुई त्रुटि की जानकारी नही थी प्रार्थी संलग्न नक्शे मे लाल रंग से दर्शित भूमि पर काबिज काश्त है।

प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि को राजस्व नक्शे एवं रेकर्ड मे खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.53 हेक्टेयर को बिलानाम दर्शाया है जो सर्वथा गलत रूप से दर्शाया है। प्रार्थी के वर्तमान सेटलमेण्ट के पुराने खसरा नंबर 165/136-165/137-165/139-165/139 रकबा 1बीघा-0.18 बीघा-0.11 बीघा-0.16 बीघा कुल 3.05 बीघा के नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.53 हेक्टेयर को राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे बिलानाम के स्थान पर खातेदारी अंकित किया जाना न्यायसंगत है। यदि वर्तमान भू प्रबन्ध के समय हुई गलती को नही सुधारा गया तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से वंचित हो जायेंगे। वर्तमान भूप्रबन्ध के समय हुई उक्त गलती की जानकारी प्रार्थी को ऑन लाईन जमाबंदी लेने पर अभी ही हुई है जिससे यह आवेदन शीघ्र बिना देरी के प्रस्तुत है अन्यथा भी भूप्रबन्ध मे हुई गलती को दुरुस्त कराने हेतु विधि मे कोई अवधि नियत नही है। प्रार्थी ग्रामीण काश्तकार है उसे वर्तमान भूप्रबन्ध के समय उसकी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे हुई त्रुटि की जानकारी नही थी प्रार्थी संलग्न नक्शे मे लाल रंग से दर्शित भूमि पर काबिज काश्त है। सिरोही तहसील मे भूप्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है जिससे भूप्रबन्ध के समय हुई गलती को दुरुस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.53 हेक्टेयर बिलानाम से संशोधित कर प्रार्थी के खातेदारी मे अंकित किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमाचे ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित राजस्व रेकर्ड प्रतियाँ यथा मिलान क्षेत्रफल की प्रति-नक्शा किश्तवार मौजा वाडाखेडा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही की ग्राम वाडाखेडा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही के पुराने खसरा नंबर पुराने खसरा नंबर 165/136-165/137-165/139-165/139 रकबा 1बीघा-0.18 बीघा-0.11 बीघा-0.16 बीघा कुल 3.05 बीघा के नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.53 हेक्टेयर को राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे बिलानाम के स्थान

पर खातेदारी अंकित किया जाना न्यायसंगत है। वर्तमान भूप्रबन्ध के रेकार्ड मे प्रार्थी के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नंबर 330 का अंकन बिलानाम हुआ है जो सर्वथा गलत रूप से हुआ है। यदि वर्तमान मे भूप्रबन्ध के समय हुई गलती को नही सुधारा गया तो प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि से वंचित हो जायेगा। अतः प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.31 हेक्टेयर बिलानाम से संशोधित कर प्रार्थी के खातेदारी मे अंकित किये जाने की आज्ञा व अन्य कोई राहत जो हितकर प्रार्थी के न्यायोचित हो उसे प्रदान किये जाने का आदेश फरमावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न मिलान क्षेत्रफल व नक्शा प्रति व मौजा वाडाखेडा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2049 से 2052 खाता नंबर 61 खसरा नंबर 165/136 रकबा 1 किस्म जोड 1 खसरा नंबर 165/137 रकबा 0.18 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 165/138 रकबा 0.11 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 165/139 रकबा 0.16 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 167/157 रकबा 2.18 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 167/158 रकबा 1.07 कुल 6 रकबा 7.10 किस्म जोड 1, जमाबंदी संवत 2064 से 2067 खाता नंबर 67 खसरा नंबर 489 रकबा 0.4700 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 490 रकबा 0.2200 किस्म जोड 1, जमाबंदी संवत 2068 से 2071 खाता नंबर 55 खसरा नंबर 489 रकबा 0.0.4700 किस्म जोड 1 खसरा नंबर 490 रकबा 0.2200 हेक्टेयर किस्म जोड 1 जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार खसरा नंबर 329 रकबा 1.1500 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 330 किस्म 6.1500 किस्म जोड 1 खसरा नंबर 331 रकबा 13.0700 किस्म जोड 1 खसरा नंबर 332 रकबा 4.4000 किस्म जोड 1 तथा जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 106 खसरा नंबर 489 रकबा 0.4700 हेक्टेयर किस्म जोड 1 खसरा नंबर 490 रकबा 0.2200 हेक्टेयर प्रति का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टियों आश्वस्त होने से दिनांक 5-7-2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस दिनांक 7-7-2017 को जारी किया गया।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 15-9-2017 को अप्रार्थी तहसीलदार, सिरोही को जारी उक्त नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

दिनांक 5-12-2017 को न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने जरिये पत्र क्रमांक 1093 दिनांक 30-11-2017 से प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। तथा उक्त जवाब की प्रति वकील प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई।

अप्रार्थी तहसीलदार, सिरोही ने अपने उक्त जवाब के माध्यम से यह कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 का कथन प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करना तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 मे कथन किया कि राजस्व रेकार्ड अनुसार पटवार मण्डल गोल के मौजा वाडाखेडा के खसरा नंबर 329, 330, 331 व 332 कुल कित्ता चार कुल रकबा 24.77 हेक्टेयर बिलानाम सरकार दर्ज है जिसकी जमाबंदी साथ संलग्न है। तथा प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 से 7 तक प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करना व पैरा 8 से 10 तक माननीय

न्यायालय से संबंधित होना बताया है।

लेण्ड रिपोर्ट ऑफिसर
(उपलेण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page No 4

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे दिनांक 15-12-2017 को वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरौही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरौही) की इस प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 पर अंतिम बहस रखी गई जिस पर वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार ने न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि को राजस्व नक्शे एवं रेकर्ड मे खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.53 हेक्टेयर को बिलानाम दर्शाया है जो सर्वथा गलत रूप से दर्शाया है। प्रार्थी के वर्तमान सेटलमेण्ट के पुराने खसरा नंबर 165/136, 165/137, 165/139, 165/139 रकबा 1बीघा, 0.18 बीघा, 0.11 बीघा, 0.16 बीघा कुल 3.05 बीघा के नये खसरा नंबर 330 रकबा 0.53 हेक्टेयर को राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे बिलानाम के स्थान पर खातेदारी अंकित किया जाना न्यायसंगत है। यदि वर्तमान भू प्रबन्ध के समय हुई गलती को नही सुधारा गया तो प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से वंचित हो जायेंगे। वर्तमान भूप्रबन्ध के समय हुई उक्त गलती की जानकारी प्रार्थी को ऑन लाईन जमाबंदी लेने पर अभी ही हुई है जिससे यह आवेदन शीघ्र बिना देरी के प्रस्तुत है अन्यथा भी भूप्रबन्ध मे हुई गलती को दुरुस्त कराने हेतु विधि मे कोई अवधि नियत नही है। प्रार्थी ग्रामीण काश्तकार है उसे वर्तमान भूप्रबन्ध के समय उसकी कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे मे हुई त्रुटि की जानकारी नही थी प्रार्थी संलग्न नक्शे मे लाल रंग से दर्शित भूमि पर काबिज काश्त है। खसरा नंबर 165 से टुकडे हुये है सेटलमेण्टके बाद 329, 330, 331, 332 नये नंबर पडे है जमाबंदी मेरे नाम से हुई है पुरानी मिसल भी पेश की है। सिरौही तहसील मे भूप्रबन्ध की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है जिससे भूप्रबन्ध के समय हुई गलतती को दुरुस्त किये जाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.31 हेक्टेयर बिलानाम से संशोधित कर प्रार्थी के खातेदारी मे अंकित किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमाचे ।

अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरौही की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण ने दौराने सेटलमेण्ट की सूचना का उजर एतराज नही किया है तथा प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन का साक्ष्य जमाबंदी के अलावा अन्य साक्ष्य पेश नही किया है तथा धारा 19 मे जो खातेदारी दी थी उसका साक्ष्य आवंटन आदेश व तरमीम नक्शा सेटलमेण्ट का प्रस्तुत नही किया है। नक्शे मे कब्जे का सही तरमीम नही दिखाया है। प्रार्थीगण ने खातेदारी किस तरह प्राप्त है उसका विवरण नही दिया है। प्रार्थी चाहे तो बिलानाम भूमि मे खातेदारी हेतु अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत दावा कर सकते है। तथा उक्त प्रकरण लिपिकिय त्रुटी की परिभाषा मे नही आने से धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत परिपोषणीय भी नही है।

लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरौही (राज.)

Continue Page No 5

हमने वकील प्रार्थी व अप्रार्थी पैरोकार सरकार की उपरोक्त अंतिम बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया । विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र, जवाब अप्रार्थी राजस्व रेकर्ड प्रतियों यथा भूप्रबन्ध विभाग की खतौनी 14-6-2004 से 13-6-2024 की प्रति मिलान क्षेत्रफल की प्रति, नक्शा किश्तवार मौजा वाडाखेडा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही प्रार्थनापत्र व संलग्न मिलान क्षेत्रफल व नक्शा प्रति व मौजा वाडाखेडा पटवार हल्का गोल तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2049 से 2052 खाता नंबर 61 खसरा नंबर 165/136 रकबा 1 किस्म जोड 1 खसरा नंबर 165/137 रकबा 0.18 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 165/138 रकबा 0.11 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 165/139 रकबा 0.16 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 167/157 रकबा 2.18 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 167/158 रकबा 1.07 कुल 6 रकबा 7.10 किस्म जोड 1, जमाबंदी संवत 2064 से 2067 खाता नंबर 67 खसरा नंबर 489 रकबा 0.4700 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 490 रकबा 0.2200 किस्म जोड 1, जमाबंदी संवत 2068 से 2071 खाता नंबर 55 खसरा नंबर 489 रकबा 0.04700 किस्म जोड 1 खसरा नंबर 490 रकबा 0.2200 हेक्टेयर किस्म जोड 1 जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार खसरा नंबर 329 रकबा 1.1500 किस्म जोड 1, खसरा नंबर 330 किस्म 6.1500 किस्म जोड 1 खसरा नंबर 331 रकबा 13.0700 किस्म जोड 1 खसरा नंबर 332 रकबा 4.4000 किस्म जोड 1 तथा जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर 106 खसरा नंबर 489 रकबा 0.4700 हेक्टेयर किस्म जोड 1 खसरा नंबर 490 रकबा 0.2200 हेक्टेयर प्रति का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व विश्लेषण के उपरान्त यह पाया कि पत्रावली के संलग्न प्रार्थीगण को भूमि आवंटन हुई उसके आवंटन आदेश व नक्शा तरमीम की प्रति प्रार्थीगण ने पेश नहीं की है तथा धारा 19 के तहत जो खातेदारी प्रार्थीगण को दी थी उसका दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया है। तथा प्रार्थीगण ने दौरान सेटलमेण्ट पर्चा के उजर एतराज भी पेश नहीं किया है ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश करना नहीं पाया है। जिससे यह साबित होता हो कि वर्तमान सेटलमेण्टमे प्रार्थी के पुराने खसरा नंबर 165/136, 165/137, 165/138, 165/139 नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.53 हेक्टेयर को राजस्व रेकर्ड मे बिलानाम अंकित किया । प्रार्थीगण व उसके रसाधिकारी के खातेदारी अंकित नहीं किया है। पुराने खसरा नंबर 165/136, 165/137, 165/138, 165/139 से नये खसरा नंबर 329, 330, 331, 332 बने है एवं प्रार्थी पुराने खसरा नंबर 165/136, 165/137, 165/138, 165/139 से बने नये खसरा नंबर 330 रकबा 6.15 हेक्टेयर मेसे 0.53 हेक्टेयर पर काबिज काश्त है कि राजस्व रेकर्ड नक्शे मे बिलानाम के स्थान पर खातेदारी अंकित किया जाना का निवेदन किया है। हम तहसीलदार, सिरोही के उक्त जवाब से सहमत है कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे विचारण प्रकरण मे प्रार्थीगण कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे प्रार्थीगण के खातेदारी मे अंकित किये

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिस
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page 106

पेज नंबर 44: जेठा वगैरा बनाम स्टेट 130/2017

जाने की राहत चाही है जो कि वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज खातेदार राजस्थान सरकार के बिलानाम भूमि के विरुद्ध चाही है जो कि उक्त प्रकरण जमाबंदी मे दर्ज खातेदार के विरुद्ध खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की तारीफ मे आता है न कि लिपिकिय त्रुटि की तारीफ मे आता है। विधि मे भी यह प्रावधान है कि सर्वे एण्ड लैण्ड रेकर्ड ओपरेशन के दौरान हुई त्रुटि को दुरुस्ती बाबत कोई भी व्यक्ति खातेदार कृषक के अधिकार विरुद्ध रेकर्डेड खातेदार के रेकर्ड चेन्ज प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्राप्त करने हेतु नही आ सकता । बल्कि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय मे राजस्व वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत करना होता है न कि अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत संक्षेप वैकल्पिक रास्ता से इस धारा का गलत सहारा लेकर प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण ने क्लीन हैण्ड से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया है तथा प्रार्थीगण ने अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टियों प्रकरण प्रमाणित करने हेतु भूमि आवंटन आदेश की प्रति पेश नही की है जिससे यह स्थिति स्पष्ट नही होती कि प्रार्थी को आवंटन किस खसरा नंबर मे कितने रकबे पर किया है तथा प्रार्थी कहां पर काबिज काशत है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने राजस्व अभिलिखित साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया है। इस कारण प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र विधि मान्य नही होने से उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत बाबत राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती करवाने का परिपोषणीय नही होने से स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारीज) किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

यह निर्णय आज दिनांक 02-01-2018 को मेरे हस्ताक्षर व पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

